मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग,
मंत्रालय

क्रमॉक एल 1–10/383/2016/ब–7/डीएमसी/चार भोपाल दिनॉक 25/03/2017

प्रति,

आयुक्त,
कोष एवं लेखा, पर्यावास भवन,
मध्यप्रदेश, भोपाल
फैक्स –0755–2676030।

विषय :– राज्य शासन के कोष से देयक/चेक्स के आहरण के संबंध में।

000

वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है । यह देखने में आया है कि मार्च माह के अंतिम सप्ताह में कतिपय उद्देश्य शीर्ष अंतर्गत उपलब्ध बजट का जल्दबाजी में उपयोग करने की प्रवृत्ति होती है। इससे उक्त व्यय की निगरानी समुचित प्रकार से नहीं हो पाती है।

2/– अतः वित्तीय वर्ष 2016–17 की शेष अवधि के लिये बिजली एवं जल प्रभार, दूरभाष व्यय, किराया महसूल एवं स्थानीय कर को छोड़कर, निम्नांकित उद्देश्य शीर्षो से आहरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबन्ध लगाया जाता है :–

(i)	उद्देश्य शीर्ष–22	कार्यालय व्यय
(ii)	उद्देश्य शीर्ष–31	व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियॉ
(iii)	उद्देश्य शीर्ष–32	लघु निर्माण कार्य
(iv)	उद्देश्य शीर्ष–33	अनुरक्षण कार्य
(v)	उद्देश्य शीर्ष–34	सामग्री एवं पूर्तियॉ
(vi)	उद्देश्य शीर्ष–51	अन्य प्रभार

उक्त उद्देश्य शीर्षो में आहरण की अत्यंत आवश्यकता होने पर देयकों के कोषालय से आहरण के लिए वित्त विभाग से पूर्व अनुमति की आवश्यकता होगी ।

3/– मुख्यशीर्ष 2011, 2012, 2014, 2051, 2245, स्वेच्छा अनुदान निधि से आर्थिक सहायता एवं म0प्र0 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना को उक्त प्रतिबन्ध से मुक्त रखा जाता है ।

4/– यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

5/– उपरोक्त निर्देश 31 मार्च 2017 तक प्रभावशील रहेंगे ।

//2//

(अजीत कुमार)
संचालक बजट
वित्त विभाग
मध्यप्रदेश शासन

6/— इसके साथ—साथ म0प्र0 वित्तीय संहिता भाग—एक के नियम—6 के प्रावधान " जब तक किसी विधि अथवा आदेश या नियम जिसका वैधानिक स्वरूप है, से अधिकृत न हो, वित्त विभाग की पूर्वानुमति के बिना संचित निधि से लोक लेखा (पी.डी.खाता, 'K' डिपॉजिट, इत्यादि) में जमा करने हेतु राशि नहीं निकाली जा सकती है " का भी कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए ।

(अजीत कुमार)
संचालक बजट
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग
मंत्रालय भोपाल

पृ.क्रं. एल1—10/384/2016/ब—7/डीएमसी/चार भोपाल दिनॉक 25/03/2017

प्रतिलिपि :—

1. शासन के समस्त विभाग, समस्त विभागाध्यक्ष एवं बजट नियंत्रण अधिकारी, मध्यप्रदेश ।
2. समस्त संभागायुक्त/जिलाध्यक्ष मध्यप्रदेश ।
3. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश ।
4. वित्त विभाग की समस्त बजट शाखाओं/बजट अधिकारियों की ओर सूचनार्थ ।
5. समस्त कोषालय/उप कोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश।

संचालक बजट
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग